

28³/₁₈ पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। उभय पक्ष के वकीलों द्वारा पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षीय वकीलों की बहस भी पूर्व में सूनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताया गया कि मौजा चक डूंगरपुर में आराजी नम्बर 35 से लगाय 48 व आराजी नम्बर 62 से लगाय 66 तथा आराजी नम्बर 76 से लगाय 78 कुल किता 22 रकबा 5.05 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह जमीन पन्ना व वगता भोई ने महारावल डूंगरपुर से 51 बीघा 8 बीस्वा 2 डूंगरा जमीन 06.06.1953 में खरीदी उसके आधार पर पन्ना भीखा जमीन पर काबिज थे। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त कुलिया 51 बीघा 8 बीस्वा भूमि भीखा, पन्ना भोई से खरीदकर उसका विक्रय स्टाम्प पर निष्पादित करवा पंजीयन करवा लिया था एवं इस आधार पर अपने खाते दर्ज करवा ली थी। 51 बीघा 8 बीस्वा में से 10 बीघा जमीन कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ लोहार ने भीखा, पन्ना भोई से खरीदना बताकर सावित्री बाई के खाते में से 10 बीघा जमीन अपने नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज करवा ली तथा 6 बीघा जमीन का विक्रय पत्र कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ ने सावित्रीबाई से दिनांक 30.10.1990 को करवा कर उसका पंजीयन भी करवा अपने खाते दर्ज करवा ली। इस प्रकार सावित्रीबाई के खाते में से 16 बीघा जमीन कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ ने अपने नाम करवा ली इस कारण अब सावित्रीबाई के पास 35 बीघा 8 बीस्वा जमीन ही शेष रही है जो उनके खाते दर्ज है। वकील प्रार्थी ने आगे बताया कि 51 बीघा 08 बिस्वा में से आराजी रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा सुखी वो रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा राकड वो रकबा 03 बीघा पडत कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि पन्ना पिता कालूजी भोई प्रार्थीगण के पिता रामलाल पिता पूरमचन्द जी जरादी निवासी डूंगरपुर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1966 से खरीदकर कब्जा प्राप्त कर विक्रय पत्र स्टाम्प पर निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया। रामलाल का स्वर्गवास हो जाने उनके वारिसान द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि का विक्रय प्रार्थीगण के पिता को 1966 में कर कब्जा सुपुर्द किया गया तब से आज तक प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण का कब्जा बिना रोक-टोक के शान्ति पूर्वक जमीन पर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा सन् 1966 में 51 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि पन्ना भोई से खरीदकर कब्जा लिया है उसी जमीन का विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 1 सावित्रीबाई ने 1973 में करवा लिया यह विक्रय पत्र 10 बीघा 12 बिस्वा के हद तक दुबारा विक्रय पत्र की परिभाषा में आता है तथा वह नल एण्ड वोइड है। उस 10 बीघा 12 बिस्वा पर सावित्री बाई का हक प्राप्त नहीं होता है प्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीदी गई जमीन 10 बीघा 12 बिस्वा जमीन के हाल आराजी नम्बर 62 रकबा 0.04 हे. आराजी नम्बर 63 रकबा 0.10 हे. आराजी नम्बर 64 रकबा 0.20 हे. आराजी नम्बर 65 रकबा 0.06 हे. आराजी नम्बर 66 रकबा 0.16 हे., आराजी नम्बर 76 रकबा 0.01 हे. आराजी नम्बर 77 रकबा 0.02 हे., आराजी नम्बर 78 रकबा 0.03 हे. आराजी



नम्बर 36 रकबा 0.69 हे., आराजी नम्बर 37 रकबा 0.38 हे. कुल किता 10 कुल रकबा 1.69 हे. भूमि है जो प्रार्थीगण के पिता रामलाल ने पन्ना पिता कालू भोई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1966 में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त जमीन के संबध मे इस न्यायालय मे एक वाद जैरकार है जिसमे प्रार्थी को प्रथम दृष्टया सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण 10 बीघा 12 बिस्वा जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 29.08.1966 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया उसी अनुसार मालिक काबिज हुए तथा विपक्षी संख्या 1 ने इसी जमीन को सन् 1973 में खरीदकर रजिस्ट्री करवाई वह विक्रयपत्र एवइनिश्योवोइड है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त जमीन के मालिक काबिज होकर कानूनी खातेदार काश्तकार हैं तथा विपक्षीगण के खाते दर्ज हो जाने से उन्हें किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वाद ग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का 1966 से कब्जा चला आ रहा इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो विपक्षीगण प्रार्थीगण की बनी हुई बाउन्ड्रीवॉल को जबरन गिरा देगे एवं जमीन में जबरन प्रवेश कर लेगे जिससे प्रार्थीगण को अपूणीय क्षति होगी। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस एवं प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र का आधार दिनांक 29.08.1966 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है किन्तु तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1966 पन्ना पिता कालू भोई अकेले ने 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि भीखा पिता कालू भोई के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि बिना बटवारा कराये तथा बिना भीखाभाई की सहमति के, बिना खसरा नं0 अंकित किये निष्पादित कराया। विधिक स्थिति इस प्रकार है कि कोई भी संयुक्त खातेदार बिना बटवारा करवाये अकेला विशिष्ट भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है ओर यदि ऐसा कर भी दिया है तो तथाकथित विक्रय पत्र कानूनन शुन्य है और कानूनन प्रवर्तनीय नहीं होता है। विपक्षीया श्रीमति सावित्रीबाई ने दिनांक 02.06.1973 को भीखा एव पनालाल पिता कालूजी भोई गत सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 6/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 7/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 8/1 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा , खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3 बीघा , खसरा नम्बर 10 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा , खसरा नम्बर 11 रकबा 16 बिस्वा , खसरा नम्बर 12 रकबा 5 बिस्वा , खसरा नम्बर 13 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा , खसरा नम्बर 14 रकबा 16 बिस्वा , खसरा नम्बर 15 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा , कुल योग 10 खेत रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय किया जो ततकालीन राजस्व ग्राम पातापुर में स्थित था । इसके पश्चात के सेटलमेन्ट मे उक्त खसरा नम्बर राजस्व ग्राम चक डूंगरपुर में अंकित हुये। 10 बीघा भूमि बाबत प्रार्थीगण के स्वयं के दस्तावेज अनुसार न्यायलय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, पार्टी नंमबर 3 उदयपुर मे 4/1984 इन्द्राज दुरस्ती बाबत प्रकरण चला था उसके पश्चात

①

न्यायालय सहायक कलक्टर डूंगरपुर में प्रकरण संख्या 58/1987 निर्णय दिनांक 22.08.1988 में दोनो पक्षो के मध्य जरीये राजीनामा खसरा नम्बर 49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61, कुल रकबा 1.67 हे.(10 बीघा) का अन्तरण श्री कन्हैयालाल , भरतलाल एवं मोहन लाल लौहार के पक्ष में हुआ था उक्त राजीनामा मे श्रीमति सावित्रि बाई ने न्यायालय में तसदीक करवाया था । वकील अप्रार्थी आगे बताया कि प्रार्थीगण ने इसी दस्तावेज दिनांक 29.08.1966को आधार बनाकर पूर्व मे माननीय उच्चा न्यायालय राजस्थान मे CIVIL WRIT (CW) NO. 6729 OF 2016 प्रस्तुत किया था जिसमे दिनांक 29.08.1966 के विक्रय पत्र का वर्तमान खसरा नम्बर 82 रकबा 1.30 हे. अंकित किया गया । उक्त रिट याचिका प्रार्थीगण ने राजस्थान राज्य एवं नगरपरिषद डूंगरपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की थी जबकि वर्तमान वाद मे दिनांक 29.08.1966 के विक्रय पत्र की भूमि का खसरा नम्बर 62,63,64,65,66,76,77,78,36 एवं 37 अंकित किये है। वकील अप्रार्थी ने आगे बताया कि इस प्रकार प्रार्थीगण धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित है। वादीगण RULE OF ESTOPPEL यानि विबंधन के सिद्धांत से बाधित है तथा एक ही दस्तावेज के बारे मे अलग-अलग न्यायालय मे अलग-अलग कथन नही कर सकते। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र एवं मूल वाद छल एवं कपट पूर्वक विपक्षिगण व अन्य कि भूमि हडपने से प्रस्तुत किया गया है इसलिए निरस्त किया जावे। साथ ही वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस एवं जवाब प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया।

उभय पक्ष के विद्वान वकिलो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/साईटेशन का अवलोकन किया। पत्रावली में सलग्न दस्तावेज अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1966 में खसरा नं० अंकित नही है न ही उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद होना जाहीर आया है। विक्रय पत्र दिनांक 29.08.1966 के अधार पर एक वाद पूर्व माननीय उच्चा न्यायालय राजस्थान मे CIVIL WRIT (CW) NO. 6729 OF 2016 राजस्थान राज्य एवं नगरपरिषद डूंगरपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें इसी विक्रय पत्र के आधार पर खसरा नं० 82 अंकित गया एवं उस पर प्रार्थीगण का कब्जा होना बताया गया जबकि अब खसरा नं० 62, 63, 64, 65, 66, 76, 77, 78, 36, एवं 37 बताये गये है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं० 62, 63, 64, 65, 66, 76, 77, 78, 36, एवं 37 पर कब्जा होने के संबंध में कोई लिखित/दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये है । अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझता हूँ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

6
s.p.o
28/3/18